The Weekly Holidays Act, 1942

(Act No. 18 of 1942)

साप्ताहिक अवकाशदिन अधिनियम, 1942

(1942 का अधिनियम संख्यांक 18)

साप्ताहिक अवकाशदिन अधिनियम, 1942

(1942 का अधिनियम संख्यांक 18)[1]

[3 अप्रैल, 1942]

दुकानों, उपाहारगृहों और नाट्यशालाओं में नियोजित व्यक्तियों को
साप्ताहिक अवकाशदिन अनुदत्त किए जाने का उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम

दुकानों, उपाहारगृहों और नाट्यशालाओं में नियोजित व्यक्तियों को साप्ताहिक अवकाशदिन अनुदत्त किए जाने का उपबन्ध करना समीचीन है;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**—(1) यह अधिनियम साप्ताहिक अवकाशदिन अधिनियम, 1942 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार [2]*** सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह किसी राज्य में या राज्य में के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में केवल तभी प्रवृत्त होगा जबकि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा निदेश दे।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "स्थापन" से दुकान, उपाहारगृह या नाट्यशाला अभिप्रेत है;

(ख) "दिन" से मध्यरात्रि को प्रारम्भ होने वाली चौबीस घण्टों की कालावधि अभिप्रेत है;

(ग) "उपाहारगृह" से ऐसा कोई परिसर अभिप्रेत है जिसमें जनता को अथवा जनता के किसी वर्ग को परिसर में उपभोग के लिए भोजन या जलपान के प्रदाय का कारबार प्रधानतः या पूर्णतः चलाया जाता है किन्तु किसी नाट्यशाला से संलग्न उपाहारगृह इसके अन्तर्गत नहीं आता;

(घ) "दुकान" के अन्तर्गत कोई ऐसा परिसर आता है जहां कोई फुटकर व्यापार या कारबार चलाया जाता है, जिसके अन्तर्गत नाई या केश प्रसाधक का कारबार और नीलाम द्वारा फुटकर विक्रय आते हैं, किन्तु कार्यक्रमों के, प्रसूचियों के और अन्य वैसे ही विक्रय, जो नाट्यशालाओं पर किए जाते हैं, नहीं आते;

(ङ) "नाट्यशाला" के अन्तर्गत कोई ऐसा परिसर आता है जो प्रधानतः या पूर्णतः चलचित्रों, नाटकों या रंगमंचीय मनोरंजनों के प्रदर्शन के लिए आशयित है;

(च) "सप्ताह" से शनिवार की मध्यरात्रि को प्रारम्भ होने वाली सात दिन की कालावधि अभिप्रेत है।

3. **दुकानों का बन्द रहना**—(1) हर दुकान सप्ताह में एक दिन पूरे तौर पर बन्द रहेगी, जो दिन दुकानदार द्वारा दुकान में के किसी सहजदृश्य स्थान में स्थायी तौर पर प्रदर्शित सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया दिन दुकानदार द्वारा तीन मास में एक से अधिक बार परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

---

1. यह अधिनियम दादरा और नागर हवेली में 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा, पांडिचेरी में 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा, गोवा, दमन और दीव में 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा और सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा विस्तारित किया गया।

   यह अधिनियम केरल में 1960 के केरल अधिनियम सं० 34 द्वारा, महाराष्ट्र में 1961 के महाराष्ट्र अधिनियम सं० 26 द्वारा और राजस्थान में 1958 के राजस्थान अधिनियम सं० 31 द्वारा लागू होने के लिए निरसित किया गया। यह अधिनियम मैसूर में 1962 के मैसूर अधिनियम सं० 8 द्वारा संशोधित किया गया।

2. 1970 के अधिनियम सं० 51 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा (1-9-1971 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया।

9. **शास्तियां**—धारा 3 के, धारा 4 के, धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा अधिरोपित अपेक्षा के, धारा 6 के या धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन की दशा में उस स्थापन का, जिसमें ऐसा उल्लंघन हुआ हो, स्वत्वधारी या उसके प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी अन्य व्यक्ति जुर्माने से, जो प्रथम अपराध की दशा में पच्चीस रुपए तक का और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

10. **नियम**—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम—

(क) ऐसे व्यक्तियों को परिभाषित कर सकेंगे जो धाराओं 4 और 5 के प्रयोजनों के लिए गोपनीयता की हैसियत में या प्रबन्ध के पद पर नियोजित समझे जाएंगे;

(ख) निरीक्षकों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का निर्वहन विनियमित कर सकेंगे;

(ग) जिन स्थापनों को यह अधिनियम लागू होता है उनमें रजिस्टरों और अभिलेखों के रखे जाने और सूचनाओं के संप्रदर्शन की अपेक्षा कर सकेंगे और उनके प्ररूप और अन्तर्वस्तु विहित कर सकेंगे।

[1][(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

11. **छूट और निलम्बन की शक्ति**—अपने नियंत्रण के अधीन के स्थापनों के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य में के अन्य सब स्थापनों के बारे में राज्य सरकार ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, किसी ऐसे स्थापन को, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के सब उपबन्धों से या किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबन्धों से छूट दे सकेगी और मेला या उत्सव के या लगातार होने वाले लोक अवकाशदिनों के सम्बन्ध में किसी विशेष अवसर पर इस अधिनियम का प्रवर्तन विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित कर सकेगी।

1. 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अंत:स्थापित।